दिनांक	आज्ञा पत्र	
16.7.2018	पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।	

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी अपीलान्ट ने अदालत मातहत में प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-251(ए) राजस्थान भू-अभिलेख अधिनियम का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खेत खसरा नम्बर 804 रकबा 0.01 हैक्टर, ख0नं0 805 रकबा 8.55 हैक्टर ग्राम करडका में आवागमन का एक मात्र रास्ता ख0नं0 840, 836 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे 15 फुट चौडाई का बना आ रहा है। जो राजस्व नक्शा ट्रेस में रास्ता ख0नं0 841, 852, 843, 851, 845, 848, 850 से आ रहा है। जिससे होकर प्रार्थी अपने खेत ख0नं0 804 व 805 में आता जाता है । किन्तु यह रास्ता नक्शे में कहा हुआ नहीं है जिससे प्रार्थी संख्या-1 व 2 ने यह रास्ता बन्द कर दिया। इस कारण इस रास्ता को नक्शा में लाया जाना आवश्यक है । अदालत मातहत ने ख0नं0 804, 805, 840 संयुक्त खातेदारी की भूमिया है जिसमें अप्रार्थी सं0-1 व 2 के साथ साथ प्रार्थी की खातेदारी भी दर्ज है उक्त आराजी का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है । इस कारण प्रत्येक सहखातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा माना जावेगा जिसमें वह बिना किसी रूकावट के संयुक्त खातेदारी की भूमि का उपयोग उपभोग कर सकता है। इसके साथ ही अदालत मातहत ने अपने निर्णय में ख0नं0 836 व 837 आपस में मिले हुये है जिनमें यह स्पष्ट नहीं हो रहा कि दोनो खसरा नम्बरों की सीमाऐ कहां तक है । यह दर्ज कर प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया ।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

इस आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट ने यह अपील पेश की बहस विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट की एक पक्षीय सुनी गई । रेस्पोडेन्ट बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आये ।

बहस पर मनन किया पत्रावली का अवलोकन किया गया । व0नं0 804, 805 व 840 अपीलान्ट एवं रेस्पो0

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

दिनांक	आज्ञा पत्र	
	संख्या-1 व 2 की संयुक्त खातेदारी की दर्ज है । रास्ता ख0नं0 845 से 840 तक कटान शुदा है तथा ख0नं0 840 अपीलान्ट की सहखातेदारी में दर्ज है । जिसकी उत्तरी पूर्वी सीमा तक कटानी रास्ता मौजूद है इसका कोई विवाद नहीं है। ख0नं0 840 के उत्तर में ख0नं0 841 दर्ज है । जिसमें अपीलान्ट ने रास्ते की कोई मांग नहीं की है ।क्योंकि ख0नं0 841 के उत्तर में अपीलान्ट की स्वयं की सहखातेदारी का ख0नं0 840 स्थित है ।ख0नं0 840 की उत्तरी सीमा के सहारे सहारे पूर्व से पश्चिम सीमा की तरफ जो ख0नं0 837 तक चला जाता है। किन्तु ख0नं0 805 में छ जाने के लिये केवल ख0नं0 837 में से 22x3 मीटर रास्ते की मांग की है जो नक्शे को देखने मात्र से ही स्पष्ट है ।	

किन्तु अदालत मातहत ने अपने निर्णय में ख0नं0 836 व 837 को आपस में मिले हुये है जिनमें स्पष्ट नहीं कि इन दोनो खसरा नम्बरों की सीमाऐ कहां तक है । यह कह कर अदालत मातहत ने प्रार्थी/अपीलांट का प्रार्थना पत्र खारिज किया जो उचित नहीं । इन दोनो ख0नं0 836 व 837 की सीमाओं की जांच करवाने के बाद तहसीलदार से मौके की रिपोर्ट लेते हुये ख0नं0 840 की पश्चिम सीमाके बाद अपीलान्ट को रास्ता दिया जाना मुताबिक नक्शा उचित एवं प्रतीत होता है । अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार कर अदालत मातहत का निर्णय दिनांक 3-5-2017 खारिज किया जाता है तथा प्रकरण अदालत मातहत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह ख0नं0 836 व 837 की सीमाओं की जांच कर प्रार्थी को उसके खेत ख0नं0 805 में आने जाने का रास्ता नहीं है तो रास्ता दिये जाने के सन्दर्भ में कार्यवाही की जावे। इस सन्दर्भ में तहसीलदार से रिपोर्ट ली जाकर पक्षकारों को सुनकर अपना निर्णय पुनः पारित करें । पक्षकार अदालत मातहत में दिनांक 29-8-2018 को उपस्थित होवें । निर्णय सुनाया गया ।

16/7/18

(भंवरलाल मेहरडा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर